

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद।

विज्ञप्ति

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1904 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियमावली, 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2-2015-728/86, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ, दिनांकित 18 जून, 2015 के आलोक में जनपद फैजाबाद में निवास करने वाले मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री धारक हो और समाज सेवा का अनुभव हो, के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वे आवेदक जो मास्टर डिग्री धारक हैं और जिन्हें पारिवारिक कौन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी। आवेदन की तिथि को आवेदक की उम्र 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2019 तक आमन्त्रित किये जाते हैं। फैजाबाद जनपद के आवेदक न मिलने पर अन्य जिले के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

विज्ञप्ति की एक-एक प्रति प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, फैजाबाद, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, फैजाबाद को प्राप्त करायी जाय तथा एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाय।

दिनांक 03.06.2019


03.6.19
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद।